

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम



श्री. जगनाथ बाई

हलका. भूका वडातसिह

पुत्र श्री. मिथ्यासाम जाति मांडगिपार

निवासी भूका वडातसिह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 67 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूका वडातसिह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा भूका वडातसिह के खसरा नंबर 2713 रकबा 800 वर्ग फीट किस्म भूमि 5/1 मु. पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली आठ पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी शकिके कार्य हेतु जांचपुट पत्रे पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है।	 जगनाथ बाई
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश है।	 जगनाथ बाई

तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सापल की तरफ से उनके वकील ने उपास्थि होकर जवाब हेतु सापल याद ला दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीठाली मन्धिकारी आण उभरी पर खिना पधार है पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सापल अनुपास्थि। गैर सापल को जवाब हेतु मन्त्रिण भवलय दिनांक जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सापल अनुपास्थि। गैर सापल को जवाब हेतु कर-आर भवलय दिनांक के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किन्तु गैर सापल को अतिक्रम मानते हुए पत्रावली फैलल सुनार है। निर्णय मलय से खिना जाकर शाजिल पत्रावली है। पत्रावली फैलल सुनार होकर दारिजल दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर